राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

"वित्तभवन" जनपथ, जयपुर–302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ईमेल :jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः– एफ.4(ई)सेवानिवृत/कनि0 लेखाकार/अलेसे–III/2022/1504 दिनांकः– 08.12.2022

संशोधन आदेश

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(6)वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.2004 के अन्तर्गत श्री रूप किशोर शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर विभागीय आदेश क्रमांक 29 दिनांक 12.04.2022 के द्वारा सेवानिवृति आदेश जारी किये गये थे। तत्समय श्री शर्मा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत ज्ञापन क्रमांक 1232–1235 दिनांक 24.02.2022 द्वारा जारी आरोप पत्र में विभागीय कार्यवाही लम्बित होने के कारण वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.12(6) वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के अन्तर्गत प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया था। अब विभागीय आदेश क्रमांक 497–502 दिनांक 18.11.2022 के द्वारा लिखित चेतावनी देते हुए उक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जा चुका हैं। अतः विभागीय पूर्व आदेश दिनांक 12.04.2022 के विशेष विवरण कॉलम में अंकित टिप्पणी एवं आदेश में अंकित नोट को विलोपित करते हुए, प्रमाणित किया जाता हैं किः–

वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.12(6) वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में उपरोक्त अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के विरूद्ध आज तकः–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–16 के अन्तर्गत कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नही है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अन्तर्गत कोई विशेष प्रकिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नही है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नही है।

पूर्व आदेश दिनांक 12.04.2022 का शेष भाग यथावत् है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.4(ई)सेवानिवृत/कनि0 लेखाकार/अलेसे–III/2022/1504 दिनांकः– 08.12.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज0 जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एव पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय ....
4. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष ....को प्रेषित कर लेख है कि सेवानिवृत होने वाले कार्मिक के विरूद्ध कोई विभागीय जॉच लम्बित/प्रस्तावित हो अथवा ऐसी स्थिति हो जो पेंशन को प्रभावित करती हो तो अविलम्ब इसकी सूचना सम्बन्धित पेंशन कार्यालय तथा इस विभाग को भिजवावें ताकि उचित कार्यवाही की जा सके।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सम्बन्धित कनि0 लेखाकारों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I/कार्मिक–II/III) कार्यालय हाजा।
9. डीपीसी अनुभाग/जांच अनुभाग/कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन अनुभाग, कार्यालय हाजा।
10. रक्षित/निजी पत्रावली।

(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–II/III)